

महिला श्रम सेवा न्यास

प्रतिवेदन

माह – अप्रैल से जून 2016

96, बी- वैशाली नगर, अन्नपूर्णा रोड़, इन्दौर

फोन- 0731-2483150

email: mssn.madhyapradesh@gmail.com

1. जागरूकता कार्यक्रम

सदस्यों को संगठित करने व उनको जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

क्रमांक	जिला	संख्या	सदस्य संख्या
1	इन्दौर	22	748
2	उज्जैन	18	560
3	खंडवा	14	456
4	भोपाल	8	201
5	सागर	12	480
6	दमोह	13	364
7	धार	8	288
8	देवास	8	240
9	मंदसौर	8	230
कुल		111	3567

जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत 111 बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें 3 हजार 5 सौ 67 बहनों ने भाग लिया।

1.1 कार्यक्रमों में चर्चा

रोजगार सम्बंधित चर्चा, रोजगार सम्बंधित समस्याओं के निराकरण पर चर्चा, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा लाभ हेतु चर्चा, पहचान पत्र सम्बंधित चर्चा, मनरेगा में आवेदन पर चर्चा, कुटीर आवास पर चर्चा, शौचालय हेतु चर्चा, तेंदुपत्ता संग्रहण कार्ड पर चर्चा।

2. परिचय पत्र

अपने सदस्यों को परिचय पत्र या पहचान पत्र दिलवाने के लिए संस्थान हमेशा ही कार्यरत है क्योंकि श्रमिकों के पास स्थाई रोजगार नहीं है। मालिक और मजदूर का रिश्ता अदृश्य है। इनके परिवर्तन की मापदंडता नहीं है और इसी वजह से इनकी कामगारों की तरह पहचान नहीं है।

इनको देश के अर्थतंत्र में कामगारों की तरह पहचान मिले एवं समाज और परिवार में समान दर्जा दिलाने के सतत् संघर्ष के परिणाम स्वरूप केन्द्र व राज्य शासन द्वारा इनके हित में नीति नियम और कल्याण मण्डल का गठन हुआ। जिसके माध्यम से इन्हे परिचय पत्र मिलना प्रारंभ हुआ। किन्तु इसमें पंजीयन हेतु आवेदन करना जरूरी कागजात जुटाना साथ ही इसको प्राप्त करना भी आसान नहीं है संस्थान इन्हे परिचय पत्र दिलाने में सतत् कार्यरत रहती है।

व्यवसाय	परिचय पत्र		कुल
	नया	नवीनीकरण	
बीड़ी बनना	16	5	21
खेतीहर श्रमिक	15	—	15
तेंदूपत्ता श्रमिक	450	561	1011
निर्माण श्रमिक	32	22	54
फेरी लगाना	14	—	14
घरेलु कामगार	25	—	25
कुल	552	588	1140

3. सामाजिक सुरक्षा

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में महिला श्रमिक गरीब व काफी शोषित है बिमारी गर्भावस्था, प्रसूती के दौरान उनका काम करना मुष्किल हो जाता है। प्राकृतिक विपदा जैसे— दंगे, आग, बाढ़, सूखा या फिर अनियमित रोजगार की परिस्थितियों में इन्हे आर्थिक परेषानियों को उठाना पड़ता है इस वजह से इनके बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है इन सभी में सामाजिक सुरक्षा ऐसा कदम है जो इन कठिन परिस्थितियों में इनकी रक्षा करता है। भवन निर्माण, कल्याण मण्डल ग्रामीण व शहरी श्रमिकों के लिये दो कल्याण मण्डल का गठन हुआ जिसके साथ ही घरेलु कामगारों हेतु योजना, खेती मजदूरों हेतु योजना, फुटकर व हाथ ठेले वाले हेतु योजना बनी व जिनसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओ से संस्थान के सदस्य जुडकर लाभ ले इस हेतु सतत् कार्य किया जाता है। सदस्यों को समझाना जरूरी कागजात तैयार करना आवेदन फार्म भरना व इस हेतु सारथी बहनों को भी प्रषिक्षित किया जाता है। ताकि वे इसकी मानीटरिंग कर सकें।

क्रमांक	बिमे का प्रकार	संख्या
1	जनश्री बिमा (आम आदमी बीमा योजना)	3
2	भवन निर्माण बिमा	4
3	तेंदूपत्ता बिमा	47
कुल		54

4. भवन निर्माण कल्याण मण्डल

निर्माण कार्य में मजदूरी करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने हेतु म.प्र. शासन ने 2002 में म.प्र. अन्य सःनिर्माण कल्याण मण्डल की स्थापना की जिससे किई प्रकार की योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। निर्माण कार्य में मजदूरी करने वाली सदस्य बहने व उनके परिवारों को मण्डल में पंजीयन, नवनीकरण व योजनाओं के लाभ लेने हेतु कार्य किया जाता है।

क्रमांक	योजना का नाम	बहनों की संख्या	राशि
1	प्रसूति सहायता	3	9000
2	छात्रवृत्ति	10	5000
3	विवाह सहायता	2	50000
4	मेधावी छात्रवृत्ति	15	12000
कुल		30	76000

भवन निर्माण श्रमिकों को निर्माण कल्याण मण्डल से 76 हजार रुपये का लाभ दिलवाया।

5. बीडी कल्याण मण्डल द्वारा लाभ

केन्द्रीय श्रम कल्याण संगठन द्वारा बीडी बनाने वालों के लिये बीडी कल्याण मण्डल चलाया जाता है। जिससे विभिन्न योजनाओं संचालित की जाती है। परिचय पत्र की कॉपी व योजनाओं के आवेदन भरकर लाभ प्राप्त होता है। योजनाओं की जागरूकता व इसमें आवेदन करने हेतु जरूरी कागजात तैयार करके बीडी बनाने वाली सदस्य बहनों व उनके बच्चों को निम्न सुविधायें दिलवाई गईं।

क्रमांक	योजना का नाम	बहनों की संख्या	राशि
1	चश्मा	10	1000
2	चिकित्सी सहायता	3	75000
3	छात्रवृत्ति	12	7000
4	परिचय पत्र	25	—
कुल		50	83000

बीडी कल्याण मण्डल द्वारा 50 बहनों को 83 हजार रुपये की राशि दिलवाई।

6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी योजना

इस योजना के माध्यम से गांवों में रहने वालों परिवारों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इस हेतु इन्हे जॉब कार्ड दिये गये जिस पर सम्पूर्ण परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज है, रोजगार पाने हेतु ग्रामीणों को लिखित में आवेदन करना पड़ता है जिसके पश्चात् 15 दिन में उन्हे रोजगार दिया जाना आवश्यक है नही तो उन्हे बेरोजगारी भत्ता देना होगा। विशेषकर वनों के आस पास रहने वाली बहनें व उनके परिवार रोजगार की तलाष में पलायन कर जाते है इस योजना से जोड़कर अपने सदस्यों को लाभ दिलवाने का प्रयास कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से जॉब कार्ड जो कि सरपंच या सचिव के पास रहते है उन्हे वापस दिलवाना, आवेदन करवाना व परिवारों को 100 दिन का कार्य मिले इस हेतु सहयोग करना।

क्र0	जिला	नरेगा काम दिलवाया	कार्य दिवस	कार्य
1	सागर	89	1068	रोड़ निर्माण, रोड़ मरम्मत, नर्सरी, मर्यादा अभियान, कुआं, तालाब
2	दमोह	171	1026	रोड़ निर्माण, मर्यादा अभियान, कुआं, तालाब
3	देवास	30	300	रोड़ निर्माण, रोड़ मरम्मत, नर्सरी
4	धार	45	360	नर्सरी, कुंआ गहरी करण, तालाब गहरीकरण, मर्यादा अभियान
5	इन्दौर (महू)	55	605	नर्सरी, कुंआ गहरी करण, तालाब निर्माण, रोड़ निर्माण
6	खण्डवा	34	170	तालाब निर्माण, रोड़ निर्माण
कुल		424	3529	

मनरेगा के अंतर्गत 4 सौ 24 सदस्यों को 3 हजार 5 सौ 29 दिन काम दिलवाया गया।

7. ग्रम सभा में भागीदारी

यह अभियान वर्ष में होने वाली ग्राम सभाओं के पूर्व प्रारंभ किया जाता है जिससे ग्रामीणों को ग्राम सभा में भागीदारी करने हेतु जागरूक करना उनके साथ बैठके करके ग्राम विकास व मनरेगा की लघु कार्ययोजना व लेबर बजट तैयार करना।

ग्राम सभा से सदस्याओं को लेकर प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। इस अभियान को संगठक, सूचना केन्द्र संचालिका व सेवा ग्राम निगरानी समिति के सदस्य संचालित करते हैं। 14 अप्रैल को ग्राम सभाओं में भाग लिया व प्रस्ताव दिए गए।

क्रमांक	योजनाए	आवेदन
1	मनरेगा आवेदन	365
2	कपिल धारा कुँआ	15
3	पशु शेड निर्माण	4
4	मेड बंधन	50
5	पेंशन	26
6	इंदिरा आवास कुटीर	12
7	सी.सी. रोड	8
8	पानी की टंकी का निर्माण	5
9	शमशान घाट निर्माण	4
10	शासकीय स्कूल में छत निर्माण	2
11	खाद्य पर्ची	48
12	मुख्यमंत्री आवास	5
13	हैंडपम्प	13
14	सामुदायिक केन्द्र	3
15	हैंडपम्प मरम्मत	8
16	नर्सरी पौधारोपण	85
17	नाली निर्माण	6
18	तालाब गहरीकरण	16
19	नए तालाब निर्माण	7
20	पंचायत भवन	2
21	सार्वजनिक नल कूप	6
22	शौचालय	52
कुल		742

8. सरकारी कार्यालयों में सम्पर्क

- पेन्शन— विधवा, निराश्रीत, विकलांग पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन, परिवार सहायता पेंशन के लिये अधिकारियों से सम्पर्क।
- सदस्यों के रहवासि क्षेत्र (बस्ती एवं गांव) में बुनियादी सुविधाओं के लिये सरपंच, जनपद अध्यक्ष, तहसिल के मुख्य अधिकारी, जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी, से क्षेत्रिय समस्याओं पर सम्पर्क किया।
- जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत में मनरेगा में रोजगार के लिये दिये गये आवेदनो और पत्र व्यवहार को लेकर सम्पर्क पर सम्पर्क।
- ग्राम सभा में पंचायत को माईक्रो प्लानिंग के प्रस्ताव हेतु सम्पर्क व पत्र व्यवहार।
- तेंदुपत्ता संग्रहण के समय मध्यप्रदेश लघु वनोउपज निगम भोपाल, वन विभाग, प्राथमिक सहकारी समिति में संग्रहण कार्ड, मजदूरी बोनस, बीमा हेतु सम्पर्क व पत्र व्यवहार।
- कुटीर योजना, इन्द्रा आवास, शौचालय के लिये सदस्यो के फार्म भरे जाने पर पंचायत द्वारा सुविधा हेतु सरपंच व मंत्री से सम्पर्क।

9. सेवा विमो

राष्ट्रीय स्तर पर गरीब श्रमजीवी बहनों व उनके परिवारो को बिमा करने हेतु बीमो सेवा की स्थापना की यह एक राष्ट्रीय स्तर की को ऑपरेटिव है। बीमो सेवा की विभिन्न बिमो की योजनाओं में 152 बहनों के बीमे किये गये

क्रमांक	जिला	संख्या
1	इन्दौर	77
2	उज्जैन	75
कुल		152

10. स्वास्थ्य:

शासन द्वारा ग्राम पंचायत व कल्याण मण्डलों द्वारा स्वास्थ्य की विभिन्न प्रकार की योजनायें संचालित की जाती है। जिसमें बहनों को जोड़कर लाभ दिलवाया गया।

क्रमांक	प्रकार	संख्या
1	जननी सुरक्षा	5
2	बीसीजी टीके	85
3	पोलियो दवाई पिलवाई	586
4	टी. टी. ऑपरेशन	14
5	हिमोग्लोबिन जाँच	18
6	मोतियाबिंद ऑपरेशन	4
7	स्वास्थ्य केम्प	8
8	गर्भवती महिलाओं कि जाँच	9
9	आयरन की गोली	648
10	कुपोषित बच्चों की जाँच	45
12	टीटनेस के टिके	23
कुल		1445

इस माह 1 हजार 4 सौ 45 सदस्यों को स्वास्थ्य की सुविधा दिलवाई।

11. नगर निगम, ग्राम पंचायत द्वारा लाभ

क्रमांक	योजना का नाम	सदस्य संख्या
1	वृद्धा पेंशन	6
2	निराश्रित पेंशन	4
3	विकलांग पेंशन	3
4	समग्र आईडी	18
5	परिवार सहायता	2
9	इन्द्रा आवास योजना	6
10	शौचालय	46
कुल		85

12. ग्राम निगरानी समिति के कार्य

- ग्रामिण जनों को मनरेगा, वन अधिकार अधिनियम, सूचना के अधिकार, शिक्षा का अधिकार व शासन कि अन्य कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना।
- ग्रम सभा में ग्रामिण जनों कि भागिदारी बढाने के लिए उन्हे जागरूक करना।
- ग्रम सभा में भाग लेना।
- बैठकों मे भाग लेना व ग्रामीण समस्याओं पर बैठक में चर्चा करना।
- मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामिण जनों के काम कि मॉग के आवेदन करवाना।
- मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामिण जनों को काम दिलवाना।
- मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामिण जनों को काम के स्थान पर उचित सुविधाओं मुहय्या करवाना।
- मनरेगा के अन्तर्गत जॉबकार्ड बनवाना और वितरित करवाना।
- मनरेगा के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करवाना।
- वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्रम वासी वन भूमी पर काबिज है उनके वन भूमी पर पट्टे के लिए आवेदन करवाना व उनको पट्टे दिलवाना।
- शासन कि अन्य कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामिण जनों को लाभ दिलवाना।
- कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करना।
- ग्रामिण स्तर के मुद्दों के सम्बंध में सरपंच, सचिव से वार्तालाप करना तथा इन मुद्दों को विकास खण्ड स्तर तक लेकर जाना।

13. सूचना केन्द्र के कार्य

- संस्थान का कार्यक्षेत्र भी काफी है व सदस्य संख्या भी ज्यादा है अपने सदस्यों के साथ सम्पर्क बनाये रखने और उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये सदस्यों के रहवासी क्षेत्रों में सूचना केन्द्र प्रारंभ किये।
- सूचना केन्द्र पर सदस्य अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर आते हैं और इन समस्याओं के समाधान हेतु उनको सूचना केन्द्र से पुर्ण जानकारी भी प्रदान की जाती है।
- बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएँ—पानी, बिजली, सड़क, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की जानकारी व आवेदन फार्म भरना, राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएँ आदि पर चर्चा की जाती है।
- इन सभी समस्याओं को हल करवाने की रणनीति तैयार की जाती है व सम्बंधित शासकीय विभागों जैसे— श्रम विभाग, कलेक्टर व नगर निगम सम्पर्क करके इनको सुलझाया जाता है।
- समाधान न होने पर जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रति सप्ताह होने वाली जनसुनवाई में सामूहिक रूप से बहनों को ले जाया जाता है व शिकायत की जाती है।
- सूचना केन्द्र से प्रतिमाह सदस्य बहनों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है

14. खाद्य पर्ची को लेकर सर्वे

जिला इन्दौर में खाद्य पर्ची को लेकर अभियान चलाया गया जिसमें 450 परिवारों का सर्वे किया गया एवं खाद्य पर्ची और उस पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान कर सर्वे फार्म भरे गए। सर्वे के दौरान 450 परिवारों का सर्वे किया गया जिसमें 131 परिवारों के पास खाद्य पर्ची है जिन्हे इस योजना का लाभ मिल रहा और 143 परिवार ना तो इस योजना के अंतर्गत आते हैं और ना ही इनके पास खाद्य पर्ची है। लेकिन सर्वे से यह भी निकलकर आया की 176 परिवार ऐसे हैं जो की निर्माण श्रमिक, फेरी टोकरी और घरेलू कामगार के कार्य करते हैं जिनको की खाद्य पर्ची का लाभ मिलना चाहिए परंतु ऐसे परिवारों को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

15. तेन्दूपत्ता जागरूकता अभियान

15.1 संगठन

तेन्दुपत्ता संग्रहण के दौरान कुल 6 जिलों की 43 समितियों के 482 फड के 589 गाँव में 532 बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें 24420 बहने उपस्थित रही। अभियान दल द्वारा तेन्दुपत्ता संग्रहण करने वाले वनवासियों से चर्चा की गई एवं उनकी समस्याओं को सुना गया साथ ही समस्याओं के समाधान करने के प्रयास किये गये।

क्र०	जिला	बैठक	उपस्थित संख्या	समिति	फड	गाँव
1	खंडवा	31	2060	04	47	47
2	देवास	99	3575	14	76	84
3	धार	105	2250	04	85	95
4	इन्दौर (महू)	85	3005	03	62	95
5	सागर	94	7725	05	94	148
6	दमोह	118	5805	13	118	120
कुल		532	24420	43	482	589

अभियान के अंतर्गत 5 सौ 32 बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें 24 हजार 4 सौ 20 बहनों ने भाग लिया।

15.2 बैठकों में की गई चर्चा एवं दी गई जानकारी के मुख्य बिन्दु

- मजदूरी की जानकारी, वन श्रमिक भाई-बहनों को बड़ी हुई मजदूरी के बारे में जानकारी दी जो की पहले 95 रु थी और अब 125 रु हो गई है।
- पत्ता अच्छा तोड़ने पर चर्चा एवं अच्छे पत्ते के लाभ।
- बैंक खातों की जानकारी।
- वन विभाग, ग्राम पंचायत, निर्माण श्रमिक एवं शासन द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी।
- खाद्य पर्ची और समग्र आई0डी की जानकारी।
- आगंनवाडी से मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में एवं सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मध्यान भोजन की जानकारी।
- तेन्दुपत्ता श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की जानकारी।

- संग्रहण कार्ड नवीनीकरण की जानकारी।
- खेतीहर मजदूर कार्ड की जानकारी।
- वन अधिकार अधिनियम 2006 की जानकारी।
- माहत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार गारंटी योजना के बारे में जानकारी।
- संग्रहण कार्ड का महत्व एवं कार्ड पर मिलने वाली योजनाओं की जानकारी।
- बोनस एवं बीमा की जानकारी।
- तेन्दूपत्ता टुटने की जानकारी।
- सूचना का अधिकार कानून की जानकारी।
- वन विभाग से दि जाने वाली मेधावी पुरस्कार की जानकारी दी गई।

15.3 सदस्यता

वन श्रमिक के ग्रामिण कार्यदल द्वारा जागरूकता बैठके की गई तथा बैठकों के माध्यम से वन श्रमिकाओं व उनके परिवार की समस्याओं को हल किया गया।

क्रमांक	जिला	सदस्यता
1	खंडवा	7015
2	देवास	9350
3	धार	10700
4	इन्दौर (महू)	11200
5	सागर	11200
6	दमोह	12120
कुल		61585

अभियान के अंतर्गत 61 हजार 5 सौ 85 सदस्यता बनाई गई।

15.4 शाख कतरन

लघुवनोपज संघ द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से पेड़ों की छटवाई मार्च माह में करवाई जाती है जिससे तेन्दूपत्ता के पेड़ पर पत्ते अच्छे आये जिसे शाख कतरन कहा जाता है। शाख कतरन का बजट अलग से समिति को दिया जाता है। शाख कतरन का कार्य स्थानिय वनवासीयों द्वारा करवाया जाये इसकी देख-रेख सेवा म0प्र0 के द्वारा की जाती है। इस वर्ष निम्न स्थानों पर स्थानीय श्रमिकों को कार्य न देने पर समिति में सम्पर्क कर समस्या का समाधान कर रोजगार दिलवाया गया।

क्र0	जिला	समिति	सदस्य	राशि
1	खंडवा	4	19	12600
2	देवास	5	254	56800
3	धार	12	1170	91500
4	इन्दौर (महू)	3	131	46950
5	सागर	5	557	744000
6	दमोह	1	22	11000
कुल		30	2153	962850

30 समितियों में शाख कतरन का कार्य किया गया जिसमें 2153 सदस्यों को 962850 रूपयें की मजदूरी शाख कतरन से दिलवाई।

15.5 तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्ड

म0प्र0 लघुवनोपज संघ द्वारा प्रतिवर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण हेतु संग्रहण कार्ड छपवाकर प्राथमिक लघुवनोपज समिति में संग्रहको को वितरण हेतु मार्च में भेजे जाते हैं। समिति द्वारा संग्रहण कार्ड फड़ प्रारंभ होने के दो दिन पहले संग्रहको को निःशुल्क वितरित करना होता है। जिस पर परिवार के सभी सदस्यों के नाम व उम्र दर्ज होना आवश्यक है। यह जिम्मेदारी समिति प्रबंधक, वन विभाग के नाकेदार व फड़मुंशी कि है। अभियान दल द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है। जहाँ पर समस्या होती है उसको सुलझाया जाता है।

वन श्रमिक कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिक बहनों के 1285 संग्रहण कार्ड बनवाये तथा 3633 संग्रहण कार्ड पर परिवार के नाम दर्ज करवाये जो निम्न प्रकार से है:

क्र0	जिला	संग्रहण कार्ड बनवाये	संग्रहण कार्ड पर नाम दर्ज
------	------	----------------------	---------------------------

			करवाया
1	खंडवा	124	201
2	धार	222	789
3	इन्दौर (महू)	240	845
4	सागर	245	456
5	दमोह	196	542
6	देवास	258	800
कुल		1285	3633

इस प्रकार कुल 1 हजार 2 सौ 85 संग्रहण कार्ड बनवाए और कुल 3 हजार 6 सौ 33 संग्रहण कार्डों पर परिवरों के नाम दर्ज करवाए गए।

15.6 बोनस

सभी तेन्दूपत्ता तोड़ने वाले भाई-बहन जिसने सीजन (मई-जून) में तेन्दूपत्ता तोड़ा है वह बोनस पाने का हकदार होता है। समिति द्वारा तेन्दूपत्ता को बेचा जाता है। बेचने पर जो राशि प्राप्त होती है उसमें से समितियों को होने वाले लाभांश के एक हिस्से के रूप में तेन्दूपत्ता श्रमिकों को दिया जाता है। यदि समिति को लाभ नहीं हुआ तो बोनस नहीं मिलता है। बोनस की राशि का वितरण प्रत्येक फड़ पर किया जाता है।

क्र०	जिला	समिति	राशि	लाभांशित सदस्य
1	सागर	चन्द्रापुर	634705	763
2	सागर	राहतगढ	590410	1486
3	सागर	सीहोरा	106357	307
4	सागर	बरखेडी	106303	358
5	सागर	भापेल	39559	218
6	सागर	जैसीनगर	102698	476
7	सागर	परसोरिया	86518	257
8	सागर	गढाकोटा	110408	249
9	सागर	रहली	92223	357
10	सागर	छिरारी	102156	218
11	सागर	गौरछामर	357308	854
12	सागर	पडरई	816454	940
13	सागर	देवरी	894610	851

14	सागर	ओमादा	1848955	904
15	सागर	सहजपुर	2605022	1008
16	सागर	अर्जुनी	1641303	930
17	सागर	टडा	1543187	803
18	सागर	नन्ही देवरी	194572	419
19	सागर	केसली	1471177	1051
कुल		19	1,33,43,930	12449

इस वर्ष जिला सागर में 19 समितियों में 12 हजार 4 सौ 49 सदस्यों को कुल 1 करोड़ 33 लाख 43 हजार 9 सौ 30 रुपये का भुगतान किया गया।

15.7 नितिगत वकालात

वन श्रमिकों अभियान के अन्तर्गत तेन्दूपत्ता संग्रहण काल के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर म0प्र0 वनोपज संघ, वन विभाग, प्राथमिक लघोवन सहकारी समिति से संपर्क कर पत्र व्यवहार किया गया।

क्र0	जिला	सम्पर्क का कारण	संबंधित अधिकारी
1	भोपाल	तेन्दूपत्ता प्रारंभ होने की जानकारी व वनवासी अभियान की जानकारी देने	प्रबंधसंचालक (लघुवनोपज संघ)
2	इन्दौर (महू)	बोनस, तेन्दूपत्ता मजदूरी, संग्रहण कार्ड पर परिवार की जानकारी दर्ज नहीं थी, शाख कतरन की मजदूरी, बीमा राशि हेतु, संग्रहण कार्ड पर फडमुशी के हस्ताक्षर हेतु।	डी0एफ0ओ0, नाकेदार, समिति प्रबंधक, सरपंच, फडमुशी, सचिव।
3	देवास	तेन्दूपत्ता टुटने की जानकारी, मृत्यु बीमा क्लेम राशि हेतु, बोनस, मजदूरी हेतु।	डी0एफ0ओ0, नाकेदार, रेन्जर, सरपंच, फडमुशी, प्रबंधक
4	खण्डवा	तेन्दूपत्ता फड़ प्रारंभ होने की जानकारी, बीमा क्लेम आवेदन, मजदूरी वितरण हेतु, शाख कतरन, बोनस, मर्यादा अभियान के अंतर्गत शौचालय के हेतु, पोष्टिक आहार हेतु।	डी0एफ0ओ0, नाकेदार, रेन्जर, सरपंच, फडमुशी, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सरपंच, सचिव
5	सागर	तेन्दूपत्ता बोनस जानकारी, फड़ प्रारंभ होनी की	डी0एफ0ओ0, नाकेदार,

		जानकारी, बीमा आवेदन, शाख कतरन, बोनस, मर्यादा अभियान, शाख कतरन की मजदूरी।	रेन्जर, फंडंमुशी, प्रबन्धक।	सरपंच, वन समिति,
6	दमोह	पेंशन, मनरेगा कार्य, फंड प्रारंभ की जानकारी, मजदूरी वितरण, बीमा आवेदन जानकारी हेतु, बोनस की जानकारी, छात्रवृत्ति की जानकारी, जनसुनवाई में समस्या रखने हेतु,	जिला डी0एफ0ओं0, रेन्जर, फंडंमुशी, तेन्दूपत्ता कलेक्टर, कलेक्टर	पंचायत, नाकेदार, सरपंच, प्रभारी शाखा, संयुक्त
7	धार	तेन्दूपत्ता फंड प्रारंभ होने की जानकारी, बीमा क्लेम आवेदन, मजदूरी वितरण हेतु, शाख कतरन, बोनस, मर्यादा अभियान के अंतर्गत शौचालय के हेतु, पोष्टिक आहार हेतु, बीमा क्लेम राशि हेतु।	डी0एफ0ओं0, रेन्जर, फंडंमुशी, कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, सचिव	नाकेदार, सरपंच, आंगनवाडी आशा सरपंच,

15.8 जनसुनवाई में भागीदारी

जिला दमोह ब्लॉक दमोह ग्राम पंचायत जोरतला खुर्द में बैठक के दौरान वृद्धापेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, मुख्यमंत्री आवास योजना, परिवार सहायता का लाभ नहीं मिल पा रहा था। सेवा कार्यकर्ता ने सभी ग्रामीणों को संगठित कर जनसुनवाई में आने के लिए कहाँ सभी ग्रामीण भी 31 मई 2016 को कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और उनके साथ सेवा कार्यकर्ता भी समस्याओं का लेटर तैयार कर कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा और ग्रामीणों ने भी अपनी-अपनी समस्या कलेक्टर के समक्ष रखी। कलेक्टर महोदय ने भी सेवा द्वारा बताई गयी समस्या को प्रमुखता से लिया व तत्काल एसडीएम को समस्या बताई। एसडीएम ने भी तुरन्त पंचायत इन्स्पेक्टर को फोन लगाया एवं निर्देश दिए की इस समस्या का समाधान 15 दिन में हो जाना चाहिए और सभी के खाते में पेंशन की राशि मिल जाना चाहिए।

15.9 समस्याएं एवं समाधान

अभियान के दौरान सेवा कार्यकर्ता द्वारा समिति व गाँवों में भ्रमण के दौरान बैठकों का आयोजन किया गया। तेन्दूपत्ता श्रमिक भाई-बहनों ने उनकी समस्याओं के बारे में बताया साथ ही सेवा कार्यकर्ताओं के द्वारा इन समस्याओं का समाधान भी किया गया जो निम्न प्रकार हैं।

जिला अनुसार

1. दमोह

- **समस्या** – ग्राम मनका के तेन्दूपत्ता संग्राहकों ने बताया की हमारे पास संग्रहण कार्ड है लेकिन इस कार्ड पर पात्रता पर्ची और खाद्य सामग्री कैसे प्राप्त होगी ?
- ✓ **समाधान** – ग्राम वासियों को बताया की संग्रहण कार्ड की फोटोकॉपी को रोजगार सहायक के पास जाकर पंचायत में जमा करें। अपनी-अपनी समग्र आई0डी0 में संग्रहण कार्ड अंकित करायें फिर रोजगार सहायक से बात कर पात्रता पर्ची प्राप्त करें और राशन दूकान से 1 रुपये प्रति किलों की दर से अनाज प्राप्त करें।

- **समस्या** – तेन्दूपत्ता संग्राहकों को भवन निर्माण कार्य के दौरान भवन निर्माण कार्ड की जानकारी नहीं थी।
- ✓ **समाधान** – तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चर्चा के दौरान बताया की आप लोग तेन्दूपत्ता का कार्य तो केवल एक या दो माह ही करते हैं। इसके अलावा आप जैसे भवन निर्माण के कार्य को करते हैं। भवन निर्माण कार्य में सलग्न पात्र परिवारों का भवन निर्माण का कार्ड बनाता है इस कार्ड पर शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। इसके लिए आप पंचायत में आवेदन कर योजना का फायदा ले सकते हैं।

- **समस्या** – ग्राम पंचायत जोरतला खुर्द ब्लॉक दमोह में उपस्थित श्रमिकों ने बताया कि हमारे गाँव में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जिसके सभी आवश्यक कागजात जमा हो गए हैं परंतु अभी तक कोई लाभ नहीं मिला।
- ✓ **समाधान** – सेवा कार्यकर्ता द्वारा बैठक के पश्चात् सभी ग्रामीणों को संगठित किया और 31 मई 2016 को कलेक्टर कार्यालय में आने को कहाँ और इस समस्या को जनसुनवाई में रखने को कहाँ। जनसुनवाई के दिन सभी तेन्दूपत्ता श्रमिक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उनके साथ सेवा कार्यकर्ता भी सेवा के लेटर पर ग्रामीणों की

समस्याओं को लिखकर कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा। कलेक्टर महोदय ने भी सेवा द्वारा बताई गयी समस्या को प्रमुखता से लिया व तत्काल एसडीएम को समस्या बताई। एसडीएम ने भी तुरन्त पंचायत इन्स्पेक्टर को फोन लगाया व निर्देश कि इस समस्या का समाधान 15 दिन में हो जाना चाहिए और सभी के खाते में पेंशन की राशि मिल जाना चाहिए।

- समस्या – ग्राम मनका, अर्थखेडा, देवरी, चिरई, वमनी, संगोनी, मुआरी, मुडा, तेजगड, कुलुआ, समनापुर और कन्सा में फडमुंशी द्वारा श्रमिकों को संग्रहण कार्ड नहीं वितरित करने की समस्या।
- ✓ समाधान – सेवा कार्यकर्ताओं द्वारा इसके लिए सभी फडमुंशीयों से सम्पर्क किया और उन्हें कहाँ अगर आप श्रमिकों के संग्रहण कार्ड नहीं वितरित करेंगे तो हमारे द्वारा आपकी शिकायत वन विभाग में सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष कर दि जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर हम डीएफओं सर से भी मिलेंगे। ऐसा कहने पर फडमुंशी द्वारा सभी श्रमिकों को फड पर संग्रहण कार्ड वितरित कर दिए गए।

2. खण्डवा

- समस्या – फड पर तेन्दूपत्ता की गड्डी अधिक जमा करने की समस्या।
- ✓ समाधान – सेवा कार्यकर्ता द्वारा फड पर जाकर फडमुंशी से सम्पर्क कर पुछा कि आप श्रमिकों से 100 गड्डी पर 5 गड्डी अतिरिक्त क्यों लेते हो? फडमुंशी ने कहा की हम पहले भी ऐसा ही करते थे इसलिए हम यह ले रहे हैं। इसके बाद सभी श्रमिकों संगठित कर इस बात का विरोध किया तो फडमुंशी ने कहा की ठिक है अब आगे से हम अतिरिक्त गड्डी नहीं लेंगे।
- समस्या – फडमुंशी द्वारा श्रमिकों को संग्रहण कार्ड नहीं वितरित करने की समस्या।
- ✓ समाधान – सेवा कार्यकर्ताओं द्वारा इसके लिए सभी फडमुंशीयों से सम्पर्क किया और उन्हें कहाँ अगर आप श्रमिकों के संग्रहण कार्ड नहीं वितरित करेंगे तो हमारे द्वारा आपकी शिकायत वन विभाग में की जाएगी। ऐसा कहने पर फडमुंशी द्वारा श्रमिकों को संग्रहण कार्ड वितरित कर दिए गए।

- **समस्या** – दो माह पहले शाख कतरन का काम ताराचंद्र कुशवाह ने करवाया जिसकी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ।
- ✓ **समाधान** – फड चालू होने पर सेवा कार्यकर्ता द्वारा सदस्यों से सम्पर्क किया गया उन्होंने बताया की अभी तक साख कतरन का पेमेन्ट आगे विभाग से ही नहीं आया। इसकी जानकारी निकालने के लिए वन विभाग में डी0एफ0ओ0 से चर्चा की गई और दुसरे ही दिन फड पर मजदूरी का भुगतान किया।

3. देवास

- **समस्या** – तेन्दूपत्ता अभियान के दौरान गाँव सालखेतीया, कोटडा, अम्बापानी, गुवाडी, मालीपुरा, चारबयडी, चारीया, पाजारिया, बरझई, झिरी, किशनगढ और बेहरी में सम्पर्क करने पर बहनों ने कहाँ की हम पत्ता नहीं तोडेगे क्योकि मजदूरी 95 रूपये ही है।
- ✓ **समाधान** – सेवा कार्यकर्ताओं द्वारा गाँव सालखेतीया, कोटडा, अम्बापानी, गुवाडी, मालीपुरा, चारबयडी, चारीया, पाजारिया, बरझई, झिरी, किशनगढ और बेहरी में बहनों से सम्पर्क कर बताया की अब आपकी मजदूरी 100 गड्डी पर 95 रूपये ना होकर 125 रूपये हो गई है और आपको यह मजदूरी 125 रूपये ही मिलेगी। जानकारी बहनों को देने पर सभी बहनें तेन्दूपत्ता तोडने के लिए सहमत हुई।
- **समस्या** – गाँव किशनगढ, रामपुरा, पुजापूरा, झुलाधड, पोलाखाल में बहनों से सम्पर्क कर बोनस कब मिलेगा एवं बहनों की समस्या थी कि क्या अब मजदूरी बड गयी है तो बोनस नहीं मिलेगा ?
- ✓ **समाधान** – गाँव किशनगढ, रामपुरा, पुजापूरा, झुलाधड, पोलाखाल में बहनों से सम्पर्क करने पर पता चला की फडमुंशी द्वारा ऐसा कहा गया था। इसके लिए सभी बहनों को समझाया की आपको मजदूरी भी 125 रूपये ही मिलेगी और आपको बोनस और बिमा भी मिलेगा। फडमुंशी से भी इस बारे में सम्पर्क कर सभी को समझाया गया।
- **समस्या** – गाँव कवडीया, अम्बाझर, चिल्खी, कामटी, घुसर, भोखापुरा, देवनलिया, पोलाखाल, पलासी, बिसली, रूपलीपूरा, अमलताम और नानुखेडा संग्रहण कार्ड पर परिवारों के नाम दर्ज नहीं करने को लेकर समस्या।
- ✓ **समाधान** – गाँव कवडीया, अम्बाझर, चिल्खी, कामटी, घुसर, भोखापुरा, देवनलिया, पोलाखाल, पलासी, बिसली, रूपलीपूरा, अमलताम और नानुखेडा इन सभी गाँवों में तेन्दूपत्ता श्रमिकों के संग्रहण कार्ड पर फडमुंशी से सम्पर्क कर कार्ड पर परिवार के सभी सदस्यों के नाम दर्ज करवाए गए।

- **समस्या**— फड पर तेन्दूपत्ता की गड्डी अधिक जमा करने की समस्या।
- ✓ **समाधान**— सेवा कार्यकर्ता द्वारा फड पर जाकर फडमुंशी से सम्पर्क कर पुछा कि आप श्रमिकों से 100 गड्डी पर 5 गड्डी अतिरिक्त क्यों लेते हो? आप की शिकायत हम वन विभाग में जाकर करेगे। तब जाकर फडमुंशी ने कहा की ठिक है हम अब आगे से ऐसा नहीं करेगे।

4. धार

- **समस्या** – 20 गाँवों में संग्रहण कार्ड पर तेन्दूपत्ता श्रमिकों के परिवारों के नाम दर्ज नहीं करने को लेकर समस्या।
- ✓ **समाधान** – इन सभी गाँवों में तेन्दूपत्ता श्रमिकों के संग्रहण कार्ड पर फडमुंशी से सम्पर्क कर कार्ड पर परिवार के सभी सदस्यों के नाम दर्ज करवाए गए।
- **समस्या** – तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्ड नहीं बनने को लेकर समस्या।
- ✓ **समाधान** – जिन गाँवों में नए संग्रहण कार्ड नहीं बन रहे थे वहाँ जाकर वन विभाग में जाकर, वन समिति, सरपंच और फडमुंशी से सम्पर्क कर संग्रहण कार्ड बनवाए गए।
- **समस्या** – कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों से सम्पर्क किया गया जिसमें मजदूरी को लेकर समस्या बताई गई।
- ✓ **समाधान** – वन विभाग में जाकर और फडमुंशी से जाकर सम्पर्क किया गया वहाँ जाने पर पता चला की अभी मजदूरी नहीं आई है। इसके बाद ग्रामीणों को जाकर समझाया की अभी आपको मजदूरी कुछ समय बाद मिलेगी।
- **समस्या** – जिला धार के बगडी समीती ब्लॉक नालछा के गाँव कछाल में शौचालय नहीं बनने को लेकर समस्या।
- ✓ **समाधान** – शौचालय की समस्या के समाधान हेतु जिला पंचायत सीओ को लेटर दिया व ग्रामीण लोगों की शौचालय से सम्बन्धित समस्या का समाधान हेतु काम किया।
- **समस्या** – 10 लोगों की नर्सरी में काम करने की मजदूरी का भुगतान ना करने की समस्या।
- ✓ **समाधान** – इस समस्या के समाधान के लिए सेवा कार्यकर्ता गौरव चौधरी डीएफओ से सम्पर्क किया गया और लेटर दिया गया। डीएफओ को बताया की नर्सरी में वृक्षारोपण

का काम किया था इनकी मजदूरी अभी तक नहीं मिली उन्होने कहाँ की में सम्बन्धित अधिकारियों से इस बारे में बाद कर समस्या का समाधान करता हूँ।

- **समस्या** – ग्राम नालछा आंगनवाडी में बच्चों को ठिक खाना नहीं मिलने की समस्या।
- ✓ **समाधान** – इस समस्या के समाधान के लिए आंगवाडी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता से सम्पर्क कर ग्रामीणों की बाद की गई और समस्या का समाधान करवाया।

- **समस्या** – फड सराय समिति नालछा में फड शुरू होने की जानकारी नहीं होने की समस्या।
- ✓ **समाधान** – इस समस्या के समाधान हेतु फड में जाकर फडमुंशी से सम्पर्क किया गया उनसे पुछने पर बताया की फड तो चालु है लेकिन इसकी सूचना गाँव में ही दी गई। इसके लिए फडमुंशी को सभी ग्रामीणों को जानकारी देने को कहाँ और समस्या का समाधान किया गया।

- **समस्या** – समीती अमझेरा ब्लॉक तीरला फड चाकलीय में 30 वर्ष से फड चला रही थी लेकिन उसे बिना बताए फड किसी और को देदी गई।
- ✓ **समाधान** – इस समस्या के समाधान हेतु सभी ग्रामीणों से सम्पर्क कर समस्या पर बात की जिसमें मंगली बहन की इस समस्या के बारे बताया गया व लेटर लीख कर डीएफओ से सम्पर्क करने को कहाँ गया।

5. इन्दौर (महू)

- **समस्या** – ब्लॉक महू फड बडकुआ समिति मानपुर में तेन्दूपत्ता सग्रहण कार्ड पर नाकेदार एवं फडमुंशी के हस्ताक्षर नहीं थे।
- ✓ **समाधान** – इस समस्या के समाधान हेतु बहनों के साथ जाकर तेन्दूपत्ता सग्रहण कार्ड पर नाकेदार एवं फडमुंशी से चर्चा कर हस्ताक्षर करवाए गए।

- **समस्या** – गाँव कोटियाझीरि और गोलखेडा में संग्रहण कार्ड पर परिवारों के नाम दर्ज नहीं करने को लेकर समस्या।
- ✓ **समाधान** – गाँव कोटियाझीरि और गोलखेडा गाँवों में तेन्दूपत्ता श्रमिकों के सग्रहण कार्ड पर फडमुंशी से सम्पर्क कर कार्ड पर परिवार के सभी सदस्यों के नाम दर्ज करवाए गए।

- **समस्या** – मानपुर समिति के गाँव कोटियाझीरि में बहनों को सामाजिक सुरक्षा हेतु राशन नहीं मिल रहा है।
- ✓ **समाधान** – इस समस्या के समाधान हेतु सरपंच से सम्पर्क किया गया जिसमें बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर इनकी प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है बहुत जल्द ही इनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल जाएगा।
- **समस्या** – गाँव गोलखेडा में खाद्य पर्ची की समस्या।
- ✓ **समाधान** – खाद्य पर्ची की समस्या के समाधान हेतु बहनों को संगठित कर सरपंच व सचिव लेकर गए चर्चा की गई और ग्राम सभा के माध्यम से विधवा पेंशन, राशन कार्ड और खाद्य पर्ची के आवेदन किए गए।
- **समस्या** – तेन्दूपत्ता सग्राहकों कम मजदूरी का भुगतान करने की समस्या।
- ✓ **समाधान** – तेन्दूपत्ता सग्राहकों को बताया गया कि आपकी इस वर्ष मजदूरी बढ़कर 125 रूपये हो गई है। और फडमुंशी को भी उन्हें 125 रूपये मजदूरी देने के लिए सम्पर्क किया गया।

6. सागर

- **समस्या**— फड पर तेन्दूपत्ता की गड्डी अधिक जमा करने की समस्या।
- ✓ **समाधान**— सेवा कार्यकर्ता द्वारा फड पर जाकर फडमुंशी से सम्पर्क कर पुछा कि आप श्रमिकों से 100 गड्डी पर अतिरिक्त क्यो लेते हो? आप की शिकायत हम वन विभाग में जाकर करेगे। तब जाकर फडमुंशी ने कहा की ठिक है हम अब आगे से ऐसा नहीं करेगे।
- **समस्या** – गाँव बरेखेडी, खानपुर, सागौनी, डबडरा, कुवरपुरा संग्रहण कार्ड पर परिवारों के नाम दर्ज नहीं करने को लेकर समस्या।
- ✓ **समाधान** – 5 गाँवों में तेन्दूपत्ता श्रमिकों के संग्रहण कार्ड पर परिवार के सदस्यों के नाम नहीं दर्ज किए थे उन फडमुंशी से सम्पर्क कर कार्ड पर परिवार के सभी सदस्यों के नाम दर्ज करवाए गए।
- **समस्या** – फडमुंशी द्वारा श्रमिकों को संग्रहण कार्ड नहीं वितरित करने की समस्या।
- ✓ **समाधान** – सेवा कार्यकर्ताओं द्वारा इसके लिए सभी फडमुंशीयों से सम्पर्क किया और उन्हें कहाँ अगर आप श्रमिकों के संग्रहण कार्ड नहीं वितरित करोंगे तो हमारे द्वारा

आपकी शिकायत वन विभाग में सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष कर दि जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर हम डीएफओं सर से भी मिलेगे। ऐसा कहने पर फडमुंशी द्वारा सभी श्रमिकों को फड पर संग्रहण कार्ड वितरित कर दिए गए।

- **समस्या** – गाँव बरेखेडी, खानपुर, सागौनी, डबडरा, कुवरपुरा और बसेरा में संग्रहण कार्ड बनाने के लिए 10 रूपये लेने की समस्या।
- ✓ **समाधान** – फडमुंशीयों से सम्पर्क किया और उन्हें कहाँ आप श्रमिकों के संग्रहण कार्ड बनाने के 10 रूपए किस बात के लिए रहे हो तो फडमुंशी ने कुछ जवाब नहीं दिया। सेवा कार्यकर्ता द्वारा इसकी शिकायत करने पर फडमुंशी ने सभी जिनके कार्ड के 10 रूपये लिए थे उन्हें उनको वापस किए और निःशुल्क कार्ड भी बनाए।

- **समस्या**— आंगनवाड़ी समय पर नहीं खुलती है और आंगनवाड़ी पर पेकिट नहीं मिलने की समस्या।
- ✓ **समाधान**— आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बुलाकर कहा कि आप बच्चों को समय पर खाना तथा पेकिट का वितरण करे वरना हम आपकी शिकायत महिला बाल विकास अधिकारी के पास कर देंगे। तब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कहा ठिक है अब हम समय पर सभी काम करेगे।

- **समस्या** – संग्रहण कार्ड पर गड्डी की इन्ट्री ना करना।
- ✓ **समाधान** – फड पर जाकर सभी बहनों को इकठ्ठा कर संग्रहण कार्ड पर फडमुंशी से बोला गया की अब आप किसी अन्य कागज पर इनकी इन्ट्री ना कर सीधे कार्ड पर किया करे। इस प्रकार सभी को जानकारी भी दी की आप पत्ता जमा करते समय कार्ड में ही इन्ट्री करवाए।

- **समस्या** – गाँव पटराई में सुखी पत्ती जमा करने को लेकर समस्या।
- ✓ **समाधान** – सभी ग्रामीण बहनों के साथ फडमुंशी से सम्पर्क कर उन्हें बताया की आप को सुखी पत्ती हम नहीं देंगे हम आप को सीधे जो तोडकर लाएंगें वही जमा करेगें। सुखाने का काम फडमुंशी का है हमारा नहीं इस प्रकार बहनों द्वारा जब फडमुंशी से बात की तो वह मान गया व समस्या का समाधान हुआ।

- **समस्या**— बीजरी, घोरट, चकेरी मनरेगा में काम नहीं मिलता।
- ✓ **समाधान**— मनरेगा में काम के आवेदन भरे गये है।

16. ग्राम विकास के कार्य

अभियान दल द्वारा बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम विकास के सम्बन्धित मुद्दों के बारे में ग्रामीणों के द्वारा बताया गया। ग्रामीण लोगों के ग्राम के विकास से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करने के लिए सरपंच व सचिव से सम्पर्क करने के साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर समस्याओं का समाधान किया गया।

जिला अनुसार

1. दमोह

- ✓ ग्राम समदई, ररियो, हरई, पतलोनी और झलोन में पानी की समस्या थी वहां सरपंच पानी की समस्या का समाधान नहीं कर रहा था इस समस्या के समाधान के लिए सरपंच से सम्पर्क कर पानी के टेंकर बुलवाकर पानी की समस्या का समाधान करवाया।
- ✓ समदई, ररियो, हरई, पतलोनी और झलोन में हेण्डपम्प खराब थे जिनकी और भी सरपंच ध्यान नहीं दे रहा था इसके लिए ब्लॉक स्तर पर सीओ से बात कि तब उन्होंने पी0एच0ई विभाग से बात कर हेण्डपम्प ठिक करवाए।
- ✓ नालियो की सफाई नहीं हो रही थी सरपंच से चर्चा कर सफाई करवाई एवं दवाईयों का छिडकाव करवाया।
- ✓ मर्यादा अभियान को लेकर शौचालय का निर्माण करवाया गया।

2. खण्डवा

- ✓ भोजाखेडी और विलनख में पानी की समस्या के लिए सरपंच व सचिव से पानी के लिए टेंकर बुलवाए गए और हेण्डपम्प ठिक करवाए गए।
- ✓ वलदुआ में सीसी रोड आधा बना हुआ था जिसका काम सरपंच से चर्चा कर पुरा करवाया गया।
- ✓ गांव में बिजली की समस्या को दुर करने के लिए सरपंच व सचिव से सम्पर्क।

3. देवास

- ✓ मर्यादा अभियान को लेकर शौचालय का निर्माण करवाया गया।
- ✓ सीसी रोड व तालाब गहरीकरण का काम करवाया गया।
- ✓ नालियो की सफाई नहीं हो रही थी सरपंच से चर्चा कर सफाई करवाई।
- ✓ कुआ गहरीकरण का काम करवाया।

4. धार

- ✓ सीसी रोड का कार्य किया गया।
- ✓ मर्यादा अभियान के अंतर्गत शौचालय का निर्माण।
- ✓ शासकीय स्कूलों में शौचालयों का निर्माण।
- ✓ आंगनवाडी भवन का निर्माण।

5. इन्दौर (महू)

- ✓ ग्राम पंचायत बडी जाम में सीसी रोड का निर्माण कार्य।
- ✓ भगोरा पंचायत के करोन्दिया गांव में पाईप लाईन के कार्य पर चर्चा।
- ✓ मर्यादा अभियान को लेकर शौचालय का निर्माण करवाया गया।
- ✓ सीसी रोड व तालाब गहरीकरण का काम करवाया गया।
- ✓ नालियों की सफाई नहीं हो रही थी सरपंच से चर्चा कर सफाई करवाई।
- ✓ कुआ गहरीकरण का काम करवाया।

6. सागर

- ✓ ग्राम ढावरी में 35 शौचालयों के निर्माण कार्य।
- ✓ ग्राम डबडेरा में 30 शौचालयों का निर्माण कार्य।
- ✓ ग्राम सुकालिपुरा, मादरी और मदैया में सीसी रोड का काम।
- ✓ ग्राम खानपुर में हेण्डपम्प को ठिक करवाने का कार्य।